अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
सकारण आदेश

संवेदक मेसर्स घनश्याम लाल, सिमराही बाजार, सुपौल द्वारा पथ प्रमण्डल, सुपौल अन्तर्गत नारायणपुर चौक एन0एच0–57 झिल्ला–शाहपुर से करजाईन बाजार एन0एच.0–106 पथ के कि0मी0 1 से 7, 8 (अंश), 9 (अंश), 10 से 13, 14 (अंश), 15 (अंश), 16 से 21 एवं 22 (अंश) तक कुल 19.92 कि0मी0 पथांश लम्बाई में क्रॉस ड्रेनेज एवं पथ बचाव कार्य सहित आई0आर0क्यू0पी0 कार्य वर्ष 2008–09 हेतु आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया। अनियमितता से संबंधित परिवाद प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जाँच करायी गयी एवं जाँचोपरान्त यह पाया गया कि संवेदक श्री लाल द्वारा निविदा कागजातों में विभागीय पदाधिकारियों की मिली–भगत से हेरा–फेरी की गयी। यह भी पाया गया कि निविदा कागजात के साथ संलग्न मूल एवं द्वितीयक वित्तीय बीड दोनों का अंतिम पृष्ठ अन्य निविदाकारों को निर्गत निविदा कागजात के साथ संलग्न वित्तीय बीड से भिन्न रूप में टंकित है। इसी क्रम में यह भी पाया गया कि अंतिम पृष्ठ छोड़कर शेष सभी पृष्ठों पर एक अतिरिक्त Staple का चिन्ह पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अंतिम पृष्ठ B.O.Q. से हटाकर नया अन्तिम पृष्ठ लगाया गया, जिसमें दर अंकित है। इस कार्यवाही से स्पष्ट है कि इनके द्वारा B.O.Q. में कुछ दर अंकित किया गया था जिसे हटाकर दूसरा अन्तिम पृष्ठ लगाया गया, जिसमें नया दर अंकित है।

उक्त अनियमितता से संबंधित कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक–1545 (ई०), दि० 05.05.2009 द्वारा संवेदक से पूछा गया जिसका उत्तर उनके पत्रांक–शून्य, दि० 18.05.2009 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें संवेदक द्वारा मात्र इतना ही कहा गया कि उन्हें प्रमंडल द्वारा जो निविदा कागजात मिला उसी पर उन्होंने निविदा डाला। उल्लेखनीय है कि जो भी निविदा कागजात बनाए गए होगें वे सभी के सभी सेट एक समान एवं एक ही रूप में टंकित किये गये होगें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेसर्स घनश्याम लाल द्वारा विभागीय पदाधिकारियों की मिली–भगत से निविदा कागजातों में हेरा–फेरी की गयी। तद्नुसार विभागीय आदेश ज्ञापांक–3037 (E) दिनांक–19.08.09 द्वारा संवेदक के निबंधन सं0–अ0प्र0/श्रेणी–1–168/08 पथ को काली सूची में डाला गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध CWJC No-14913/2009 मेसर्स घनश्याम लाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–12.01.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है :–

" Without expressing any opinion on the merits of the two orders contained in Annexure-9 and Annexure-12 the writ application is disposed of with liberty to the petitioner to bring all these aspects to the notice of the secretary. The appellate authority may pass an appropriate order if the petitioner succeeds in establishing parity with Vishal Builtech (I) Private Limited.

Since the order of blacklisting has consequence for the petitioner, it is advisable that this matter is decided within a period of eight weeks from filing of such an application by the petitioner before the appellate authority.

The writ application stands disposed off."

उक्त न्यायादेश के साथ वादी मेसर्स घनश्याम लाल द्वारा विभाग में आवेदन दिया गया। वादी ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से उस बात को उठाया गया कि उनका मामला एवं मेसर्स विशाल बिल्टेक प्रा०लि० का मामला एक समान है तथा मेसर्स विशाल बिल्टेक प्रा०लि० को अभियंता प्रमुख के पत्रांक–4230 (ई०) दिनांक–06.11.2009 द्वारा निविदा में हेरा–फेरी के आरोप से बरी करते हुए निबंधन कालीकरण आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। इस कारण उनके निबंधन के कालीकरण आदेश को भी समाप्त कर दिया जाय।

वादी के उक्त अभ्यावेदन पर तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा गहन छानबीन किया गया। पाया गया कि वादी का मामला एवं मेसर्स विशाल बिल्टेक प्रा०लि० का मामला भिन्न–भिन्न है। वादी द्वारा अपने अपील आवेदन में और किसी भी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि वे निविदा कागजातों से छेड़छाड़ के दोषी नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–3507 (ई०) दिनांक–23.08.10 के माध्यम से वादी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात संवेदक/वादी द्वारा उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-15190/2010 दायर किया गया जिसमें दिनांक–05.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित Oral Judgement का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

What period of blacklisting if at all necessary, in the facts of the case of the petitioner would be sufficient will have to be also decided by the competent authority department itself after looking into all the relevant facts keeping in view of the similarity of the case of M/s Vishal Builtech as recorded in the order dated 12.01.2010 passed in the cases by this Court as well as the law laid down by the Apex Court in the case of Kulja Industries (supra).